आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 25.06.2024 समय : 0705

<><><><><><><><><>

- केन्द्र ने गेहूं की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए इसके भंडारण की सीमा निर्धारित की।
- विकासीय कार्यों का जायजा लेने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मध्योत्तर अंडमान ज़िला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने रंगत तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया।
- दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त मिट्टी डंप करने वाले तीन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है।
- पोर्ट ब्लेयर में अगले महीने की एक तारीख से लेकर पन्द्रह तारीख तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।
- विशाखापटनम से आ रहा जहाज एम.वी. स्वराज द्वीप के कल दोपहर दो बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है।

<><><><><><><><><>

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों पर गेंहू के भंडारण के लिए सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपडा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा तीन हजार टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा दस टन और उनके डिपो के लिए ये सीमा तीन हजार टन होगी। श्री चोपडा ने बताया कि यह सीमा इक्तीस मार्च दो हजार पच्चीस तक लागू रहेगी।

<><><><><><><><><>

विकासीय कार्यों का जायजा लेने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मध्योत्तर अंडमान ज़िला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने रंगत तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया। दशरथपुर, रामपुर, सबरी, बकुलतला, कौशल्यानगर, कदमतला, उत्तरा, सुंदरगढ़ और नीलाम्बुर पंचायत में आयोजित बैठकों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, विभागाध्यक्षों और आम जनता के साथ हुई बैठक में बिजली आपूर्ति, की समस्या पर मंथन किया गया। रंगत तहसील को जलापूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ सड़क संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई और उनसे चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा गया है। ज़िला उपायुक्त ने लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया। श्री दिलखुश मीणा ने कदमतला में विवेकानन्द विद्यालय जिला परिषद स्कूल का भी दौरा कर भू–स्खलन की समस्या का जायजा लिया और इस मामले पर रिपोर्ट जमा करने को कहा।

<><><><><><><><><>

, दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त तथा भूमि राजस्व विनियमों का उल्लंघन करते हुए मिट्टी डंप करने वाले तीन उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन पर पांच लाख अड़तालीस हजार पांच सौ रूपए का

जुर्माना लगाया गया है। राजस्व अधिकारियों ने बम्बूफ्लाट, सिप्पीघाट तथा बिम्बलीटान गांवों का निरीक्षण किया। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने अवैध खनन तथा द्वीप समूह भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विनियमन उन्नीस सौ छियासठ का उल्लंघन करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वे भविष्य में ऐसे कार्यों में लिप्त पाए गए,, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><><><>

द्वीपों के नवनिर्वाचित सांसद विष्णु पद रे ने हाल ही में दक्षिण अण्डमान के शोलबे, मनारघाट, राइटम्यो, विम्बर्लीगंज और बम्बूफ्लाट गांवों का दौरा किया और स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनीं। लोगों ने बिजली आपूर्ति की समस्या, अपर्याप्त बस सेवाएं, मोबाइल नेटवर्क की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां, खराब सड़कों की स्थिति जैसे मुद्दों से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वे उनके द्वारा उठाए गए सभी समस्याओं का उचित समाधान करेंगे।

<><><><><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर में अगले महीने की एक तारीख से लेकर पन्द्रह तारीख तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉय माला बाग्ची और न्यायमूर्ति गोरांगकांत मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><><><>

सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग में शहीद द्वीप के स्थानीय स्नोर्कल गाइडों को सूची में शामिल करने के लिए दस्तावेजों की जांच के वास्ते आज विभाग के अधिकारियों की एक टीम इस द्वीप का दौरा करेंगी। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन और दस्तावेज सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी से जरूरी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मौके पर एकत्र किया जाएगा। सभी संबंधितों से आज सुबह साढ़े नौ बजे संबंधित दस्तावेजों के साथ शहीद द्वीप में हवाबिल नेस्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके अलावा हवाबिल नेस्ट के सम्मेलन कक्ष में जल–क्रीड़ा गतिविधियों पर कक्षाएं भी आयोजित होंगी।

<><><><><><><><><>

जलयान एमवी कैम्पबेल बे उन्तीस जून को सुबह दस बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान और ननकौड़ी होते हुए कैम्पबेल बे के लिए रवाना होगा और तीस जून को शाम पांच बजे कैम्पबेल बे से सीधे पोर्ट ब्लेयर वापस आएगा। इस यात्रा के लिए टिकट जहाज सेवा निदेशालय के ई–टिकटिंग पोर्टल और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से बुक किया जा सकता हैं। कैम्पबेल बे और ननकौड़ी जाने वाले यात्री छब्बीस जून को सुबह नौ बजे से और हट बे जाने वाले यात्री सुबह दस बजे से अपने टिकट खरीद सकते हैं।

उधर विशाखापटनम से आ रहे जहाज एमवी स्वराज द्वीप के कल दोपहर दो बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। इस जहाज पर आठ सौ सात यात्री सवार हैं। जहाज हैडो जेट्टी पर लगेगा।

<><><><><><><><><>

नील क्रांति योजना के तहत मत्स्य विभाग पारंपरिक नौकाओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। योजना के तहत आउट बोट, इन बोट, मरीन इंजन या मत्स्य उपकरण और प्रोपेलर की खरीद के लिए रियायतें प्रदान

की जाती है। सामान्य श्रेणी के लिए अड़तालीस हजार रूपये तक के अधिकतम मूल्य में चालीस प्रतिशत और प्रोपेलर के लिए एक लाख बीस हजार रूपये तक के अधिकतम मूल्य में चालीस प्रतिशत की रियायत देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला श्रेणी के लाभार्थियों को इन बोट, आउट बोट इंजन और मत्स्य उपकरण पर बहत्तर हजार रूपये तक की अधिकतम सीमा पर साठ प्रतिशत, जबकि प्रोपेलर की खरीद में अधिकतम एक लाख बीस हजार रूपये में साठ प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। द्वीपसमूह के पात्र मछुआरें, जिनके पास वैध मत्स्य लाइसेंस और पंजीकृत मत्स्य नौका के साथ दो वर्ष का अनुभव है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड की अवधि को छूट में शामिल किया गया है। सभी प्रकार के योग्यताधारक उम्मीदवार आवेदन पत्र और अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए मत्स्य निदेशालय के अलावा मत्स्य अंचल कार्यालयों या उप–केन्द्रों से संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए फार्म इक्कतीस जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे।

<><><><><><><><><>

अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी में सहायक निदेशक के विभिन्न श्रेणियों के एक–एक पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। चुने गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह पैंतीस हजार रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ग्यारह जुलाई तक अटलांटा प्वाइंट स्थित एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

उधर, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कार निकोबार में परियोजना समन्वयक, लेखाकार व लिपिक, डॉक्टर, नर्स जैसे विभिन्न पदों में भर्ती के लिए भी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। अनुबंध के आधार पर की जाने वाली इन नियुक्तियों के लिए भी उम्मीदवारों को अलग–अलग पद के हिसाब से प्रतिमाह एकमुश्त राशि दी जाएगी। आवेदन दस जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे।

<><><><><><><><><>

पोर्ट ब्लेयर और आस–पास के क्षेत्रों में कल से लगातार रूक–रूककर भारी वर्षा हो रही है। आज के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि निकोबार द्वीप के एक या दो स्थानों पर और कल अंडमान द्वीप के एक या दो स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। तेज हवाओं और समुद्र के काफी अशांत रहने के कारण मछुआरों को सत्ताईस जून की सुबह तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटों के पास समुद्री संचालन गतिविधियां या मनोरंजन करते समय भी सावधान रहने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><><><>